कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–2
सिंचाई भवन, एनेक्सी, लखनऊ

डायरी संख्या 420 / क०कें०सिं०वि०
दिनांक 19/01/18 लखनऊ

पत्रांकः 436 /अनिम–2 लखनऊ, दिनांकः 18 जनवरी 2018

विषयः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) के कार्यक्षेत्र का विवरण अपलोड करने के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केन्द्र) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक के कम में मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सिंचाई भवन एनेक्सी में स्थिति अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–2, मण्डल–4, मण्डल–6, कार्यालय कार्यरत है। इन कार्यालयों के अधीन कई अधिशासी अभियंता यूनिटों के रूप में कार्यरत है। जिनके द्वारा निम्नानुसार कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

अतः मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) के कार्यक्षेत्र का विवरण सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें। यह आदेश मुख्य अभियनता स्तर–1 (नियोजन) की सहमति के उपरान्त जारी किये जा रहे है।

अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–2,

अधीक्षण अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–2 लखनऊ के अधीन यूनिट–4 एंव यूनिट–5 है। यूनिट–4 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (गंगा, यमुना, पूर्वीगंगा, मध्यगंगा, बाणसागर, बेतवा, परियोजना–बेतवा,) के कार्यक्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओ का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है। यूनिट–5 द्वारा (शारदा, शारदा सहायक, गण्डक, सोन, सरयू–1,सरयू–2,रामगंगा,पैक्ट व कनहर के कार्यक्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं का परीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है। मुख्य अभियंता समिति का आयोजन भी यूनिट–5 द्वारा किया जाता है।

अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–4,

अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–4, द्वारा सिंचाई भवन एनेक्सी लखनऊ स्थित मण्डल–2,3,4,6 व बाढ से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों एंव कर्मचारियों के वेतन व भत्तो का आहरण विवरण तथा खण्ड स्तर के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य, प्रमुख अभियंता कार्यालय में स्थापित विभाग के समस्त दूरभाषों का रख–रखाव एवं मूल बीजकों का भुगतान का सम्पूर्ण कार्य, प्रमुख अभियंता कार्यालय परिसर में स्थित कम्प्यूटर केन्द्र के बीजकों का भुगतान सम्बन्धी कार्य, विभिन्न न्यायलयों में चल रहे विभागीय मुकदमों की पैरोकारी सम्बन्धी समस्त कार्य, भौसाकुण्ड स्थित गोमती बैराज के बाये एवं दाये तट पर स्थित कालोनी के रख रखाव सम्बन्धी समस्त कार्य, सिंचाई भवन एनेक्सी से रख रखाव सम्बन्धी समस्त कार्य, शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत लखनऊ ब्रान्चके मील 104–4 के मील 106–0 के बीच नहर का परित्वधता भूमि पर निर्मित योजना नहर के भवनों का रख रखाव सम्बन्धी समस्त कार्य, सिंचाई भवन एनेक्सी स्थित विभागीय पुस्तकालय का रख रखाव सम्बन्धी कार्य, सिंचाई भवन एनेक्सी स्थित विभागीय आडिटोरियम का रख रखाव सम्बन्धी कार्य, इसके अतिरिक्त अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड प्रथम, लखनऊ व योजना सेल द्वारा पंचवर्षीय व वार्षिक प्लान वार्षिक उपलब्धि, पुर्ननियोजन, ए0आई0बी0पी0, नियोजन से सम्बन्धित अन्य कार्य किये जाते है, एवं योजना सेल द्वारा जे0आर0वाई0,_डी0आर0डी0ए0,नाबार्ड की सिचाई परियोजनाओं एवं रोड,_पूर्वाचल व बुन्देलखण्ड निधि,_बार्डर एरिया विकास कार्य,_नाबार्ड की सिंचाई परियोजनाओं की तकनीकी जॉच।

अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–6,

अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–6, द्वारा निष्प्रोज्य भूमि का अभिलेखीय विवरण रखना तथा उस पर आवश्यक कार्यवाही करना पूर्ण परियोजनाओं का अवशेष भूप्रति कर का भुगतान सम्बन्धित कार्य किया जाता है। भूमि पर आवेध कब्जों का हटाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को पत्राचार एवं सूचना का अदान–प्रदान किया जाता है।

उपनिदेशक भूमि अध्यापित

नई परियोजनाओं में भूमि का अध्यापन का कार्य किया जाता है अर्थात भूमि अध्यापन अधिनियम की धारा 4, 6 व अन्य धाराओं पर कार्यवाही करायी जाती है।

(आर०सी० वर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांकः /अनिम–2 / तदिनांकः–

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन) सिंचाई एवं जल संसाधन उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आर०सी० वर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता